न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः–श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–412/2015/76 (2015/00412)

1. हुक्मसिंह पुत्र घीसासिंह मुतबन्ना रामसिंह, जाति मेहरात, निवासी मालपुरा तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, दिनांक 6.5.2015 अंतर्गत अपील संख्या 72/2010 .

उपस्थितः–

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

दिनांकः– 24.5.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 6.5.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मालपुरा द्वारा ग्राम मालपुरा तहसील ब्यावर स्थित खसरा नंबर 60/2 रकबा 3 बीघा, खसरा नंबर 78 रकबा 2 बीघा खसरा नंबर 95 रकबा 1–2–0 बीघा सिवायचक भूमि पर अपीलांट द्वारा ज्वार, बाजरा, काश्त कर अतिक्रमण कर लेने की रिपोर्ट नायब तहसीलदार, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत होने पर नायब तहसीलदार, ब्यावर ने प्रकरण दर्ज कर कर आदेश दिनांक 11.11.2010 द्वारा अपीलांट को विवादित भूमि से बेदखल कर 75/–रू0 जुर्माना कायमी का आदेश पारित किया । नायब तहसीलदार के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की जिसे विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 6.5.2015 द्वारा आधारहीन मानकर खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अपीलांट के द्वारा लिय गये आधारों को नजरअंदाज कर प्रार्थी को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये है जो निरस्त किये जाने योग्य है । दिनांक 21.10.2010 को प्रकरण पटवारी हल्का की शहादत में नियत था जिसे उसकी साक्ष्य प्रस्तुत करनी थी ।

अपीलांट के अभिभाषक उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था इसके बावजूद अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हएु अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि नायब तहसीलदार, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2010 एक साईक्लोस्टाईल आदेश है जो आदेश की परिभाषा में नहीं आता है और ऐसे आदेशों को राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय ने आदेशों की श्रेणी में नहीं माना है इसलिये उक्त बिन्दु पर ही नायब तहसीलदार का निर्णय निरस्त योग्य था लेकिन विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलांट की प्रथम अपील को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का न तो निर्णय में हवाला दिया है और न ही उक्त साक्ष्य पर कोई विवेचन ही किया है । अगर उक्त साक्ष्य का अवलोकन कर लिया जाता तो यह स्पष्ट हो जाता कि अपीलांट के विरूद्ध जो धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी जिसमें प्रकरण संख्या 48/95 निर्णय दिनांक 21.11.1995, प्रकरण संख्या 80/2001 निर्णय दिनांक 12.12.2002, प्रकरण संख्या 47/2003 निर्णय दिनांक 15.9.2003 के द्वारा प्रकरणों को नियमन योग्य मानते हुए तत्कालीन अधिकारियों ने नियमन की कार्यवाही हेतु पत्रावलियां नियमन हेतु उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष भिजवाने के आदेश पारित किये है लेकिन उक्त पत्रावलियों पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया है और अपीलांट को बार–बार धारा 91 एल0आर0एक्ट0 की कार्यवाही के नोटिस दिये जा रहे है । बहस में यह भी कथन किया कि विवादित आराजी बाबत् अपीलांट ने एक राजस्व वाद खातेदार घोषणा हेतु भी प्रस्तुत किया है जिस पर उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने खातेदारी घोषणा देने के बजाय नियमन करने का पात्र मानते हुए नियमन कमेटी के समक्ष प्रकरण को रखने के निर्देश दिये है जिसकी अपील हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है जिसमें तहसीलदार स्वंय पक्षकार होकर उन्हें समस्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी है । अपीलांट विवादित आराजी पर 40 वर्षो से काबिज काश्त है तथा भिन्न न्यायालयों ने अपीलांट को नियमन का पात्र माना है और सिफारिश की गई है लेकिन उन पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाने से अपीलांट को धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाहियों को सामना करना पड़ रहा है । इसलिये हाजा न्यायालय से निवेदन है कि विद्वान नायब तहसीलदार, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2010 एवं विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रथम अपील में पारित निर्णय दिनांक 6.5.2015 निरस्त किये जावे तथा अपीलांट के विरूद्ध की गई बदेखली एवं जुर्माना की कार्यवाही समाप्त की जाकर अपीलांट के प्रकरण को नियमन कमेटी के समक्ष रखने हेतु निर्देश दिये जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमियां वर्तमान में सिवायचक दर्ज है जिस पर अपीलांट द्वारा बार–बार अतिक्रमण कर काश्त किये जाने से अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही की गई है । धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही नियमन की कार्यवाही से बाधित नहीं है । जब तक अपीलांट को नियमन की कार्यवाही में कोई अनुंतोष प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक विवादित भूमि सिवायचक होने से उस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत की गई कार्यवाही विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का मालपुरा द्वारा ग्राम मालपुरा तहसील ब्यावर स्थित खसरा

नंबर 60/2 रकबा 3 बीघा, खसरा नंबर 78 रकबा 2 बीघा खसरा नंबर 95 रकबा 1–2–0 बीघा सिवायचक भूमि पर अपीलांट द्वारा ज्वार, बाजरा, काश्त कर अतिक्रमण कर लेने की रिपोर्ट नायब तहसीलदार, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत होने पर नायब तहसीलदार, ब्यावर ने प्रकरण दर्ज कर कर आदेश दिनांक 11.11.2010 द्वारा अपीलांट को विवादित भूमि से बेदखल कर 75/–रू0 जुर्माना कायमी का आदेश पारित किया । नायब तहसीलदार के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की जिसे विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 6.5.2015 द्वारा आधारहीन मानकर खारिज करने के आदेश पारित किये ।

7. अपीलांट का अपील के दौरान मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि अपीलांट द्वारा विवादित भूमियों के संबधं में उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में राजस्व वाद प्रस्तुत किया था जिसमें उपखण्ड अधिकारी ने अपीलांट को खातेदारी अधिकार तो प्रदान नहीं किये किन्तु अपीलांट के कब्जे काश्त को देखते हुए प्रकरण को नियमन कमेटी के समक्ष रखने की सिफारिश की है जिससे अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट की तहत कार्यवाही नही की जा सकती है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा विवादित खसरा नंबर 60/2 रकबा 3 बीघा भूमि बाबत् उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में राजस्व वाद वास्ते खातेदारी उद्घोषणा का प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलांट का प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा दिनांक 29.5.2004 को खारिज किये जाने पर हाजा न्यायालय में अपील पेश की गई जो निर्णय दिनांक 11. 11.2005 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया । तत्पश्चात् प्रकरण अधी0न्याया0 को रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 4.12. 2006 द्वारा अपीलांट का वाद पुनः खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा पुनः हाजा न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जिसे हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 9.1.2008 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया । अधी0न्याया0 ने पुनः दिनांक 17.5.2012 को निर्णय पारित कर अपीलांट का वाद पुनः खारिज करने के आदेश पारित किये तथा अपने निर्णय में अपीलांट के प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत अलोटमेंट कमेटी के समक्ष रखने के आदेश भी पारित किये । उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जो हाजा न्याया0 के निर्णय दिनांक 9.5.2014 द्वारा आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 22.2.2016 द्वारा अपीलांट का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये जिसके विरूद्ध हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 24.5.2019 को निर्णय पारित कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त करते हुए प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि अपीलांट के प्रकरण को नियमन कमेटी के समक्ष रखकर यथासंभव 6 माह में निर्णित करे । उक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि अपीलांट का विवादित आराजी खसरा नंबर 60/2 रकबा 3 बीघा पर पुराना कब्जा काश्त है तथा प्रकरण नियमन प्रतीत होता है किन्तु नायब तहसीलदार, ब्यावर द्वारा अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही कर बेदखल कर जुर्माना वसूल किये जाने के आदेश पारित किये पारित किये है । नायब तहसीलदार की उक्त कार्यवाही अपीलांट का प्रकरण हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 69/2004 बनवान हुक्मसिंह बनाम राज0सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11.11.2005 में दिये नियमन कमेटी के समक्ष रखे जाने के निर्देशों की पालना नहीं होने तक स्थगित रखा

जाना न्यायोचित एवं उचित समझते है । यद्यपि अपीलांट के विरूद्ध नायब तहसीलदार, ब्यावर ने खसरा नंबर 60/2 रकबा 3 बीघा के अतिरिक्त अन्य खसरा नंबरान खसरा नंबर 78 रकबा 2 बीघा खसरा नंबर 95 रकबा 1–2–0 बीघा सिवायचक भूमि बाबत् भी की गई है किन्तु हाजा न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपील केवल खसरा नंबर 60/2 रकबा 3 बीघा बाबत् ही पेश की गई थी तथा हाजा न्यायालय द्वारा भी केवल खसरा नंबर 60/2 रकबा 3 बीघा बाबत् ही अपीलांट के प्रकरण को नियमन कमेटी के समक्ष रखने के आदेश पारित किये गये है इसलिये हम न्यायहित में ग्राम मालपुरा तहसील ब्यावर के खसरा नंबर 60/2 रकबा 3 बीघा की हद तक अपीलांट के विरूद्ध की गई धारा 91 की कार्यवाही को स्थगित रखना न्यायोचित समझते है ।

8. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 6.5.2015 एव ंनायब तहसीलदार, ब्यावर का आदेश दिनांक 11.11.2010 ग्राम मालपुरा के खसरा नंबर 60/2 रकबा 3 बीघा की हद निरस्त योग्य पाया जाता है।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान द्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 6.5.2015 एव ंनायब तहसीलदार, ब्यावर का आदेश दिनांक 11.11.2010 ग्राम मालपुरा के खसरा नंबर 60/2 रकबा 3 बीघा की हद उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में अपीलांट का प्रकरण नियमन कमेटी के समक्ष विचाराधीन रहने तक निरस्त किया जाता है तथा शेष खसरा नंबरान बाबत् नायब तहसीलदार, ब्यावर का आदेश दिनांक 11.11.2010 एवं विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 6.5.2015 यथावत् रखा जाता है। हाजा न्यायालय का यह आदेश नियमन कमेटी के निर्णय के अध्यधीन रहेगा तब तक अपीलांट को विवादित भूमि खसरा नंबर 60/2 रकबा 3 बीघा से बेदखल नहीं किया जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 24.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर